निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 70/अपील/20

1 रामप्रसाद लोधा आ0 रामसिंह लोधा आयु 28 वर्ष जाति लोधा नि0मोड़ी
2 सुजानसिंह आ0 रामसिंह लोधा आयु 25 वर्ष जाति लोधा नि0 मोडी
3 रामलाल लोधा आ0 रामसिंह लोधा आयु 35 वर्ष जाति लोधा नि0 मोड़ी
तहसील बकानी(अपीलान्ट्स)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील बनाराजी न्यायालय तहसीलदार बकानी प्रकरण संख्या **222/20**
दिनांकः **10.09.2020**

उपस्थितः– श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक अपीलान्ट्स
पेशेकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 19.07.2021

यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक **10.09.2020** जो मिसल न0 **222/20** पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट्स को ग्राम मोडी की आराजी ख0न0 **482** किस्म **चरागाह** का **04 बिस्वा** आराजी पर अतिकमी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 16 रूपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एंव विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्ष रखने का समय नही दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार तनकनियात कायम कर निर्णय देना चाहिये था अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स को पूर्व में बेदखल किया गया हो ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ग्राम मोडी की आराजी ख0न0 482 व 120 केवल राजस्व अधिकार अभिलेख में चरागाह के रूप में दर्ज मात्र है इन आराजी पर राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कई महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण हो रहा है। उक्त ख0न0 में स्थित आराजी को आबादी भूमि में रूपान्तरित करवाने तक का प्रस्ताव पारित किया गया था जिस पर कार्यवाही लम्बित है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पटवारी के बयान पर हस्ताक्षर नही किये हैं जो सीपीसी के प्रावधानो का उंल्लघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित रूप से रेस्पो0 की तामील भी नहीं करवाई है। धारा 91 की कार्यवाही में अतिकमी को बेदखली बाबत कोई रेकार्ड पत्रावली पर नही है, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने पर ही सजा के प्रावधान है, ग्राम मोडी की आराजी ख0न0 482 व 120 केवल राजस्व अधिकार अभिलेख में चरागाह के रूप में दर्ज मात्र है इन आराजी पर राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कई महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण हो रहा है। उक्त ख0न0 में स्थित आराजी को आबादी भूमि में रूपान्तरित करवाने तक का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया था जिस पर कार्यवाही लम्बित है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेशेकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट्स द्वारा **चरागाह** की भूमि पर अतिकमण कर **टापरी,बाड़ा** बनाया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिकमण किया गया था जिस पर मिसल न0 **636** निर्णय दिनांक **11.11.2019** से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्ट्स का पश्चातवर्ती अतिकमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिकमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा दोराने बहस यह भी व्यक्त किया गया है कि वाद ग्रस्त आराजी को आबादी भूमि में रूपान्तरित करवाने तक का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया था जिस पर कार्यवाही लम्बित है युक्तियुक्त नही है क्यों कि ग्राम पचांयत द्वारा प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय उपरान्त लिया गया है और प्रस्ताव मात्र से भूमि रूपान्तरित/हस्तान्तरित/नियमन नही हो जाती है– इस हेतु भू राजस्व अधिनियम में पृथक से भूमि नियमन के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न **टापरी ,बाड़ा** से कब्जा यथावत रिपोर्ट अनुसार भी अपीलान्ट् द्वारा आराजी पर से अतिक्रमण नही हटाया जाना साबित है। उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उचित नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़